सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

मुकदमा नं0 02/2019 नामांतरकरण अपील

1. रामजीलाल पुत्र सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी 111 मानगज दौसा।

अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।
2. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी राजा कॉलोनी दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1336 दिनांक 15.6.2016 ग्राम बापी तहसील दौसा।

उपस्थिति—1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 2
3. श्री चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

<u>निर्णय</u> दिनांक: 07.8.2019

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम बापी तहसील दौसा की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1336 दिनांक 15.6.2016 रेस्पो0 2 के नाम भरकर तस्दीक कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम बापी तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 483 रकबा 2.10 है0 की खातेदारी हिस्सा 1/2 गोपाल, कालूराम, पप्पूलाल, छोटा पत्नि कजोड़, गिर्राज पि0 कजोड़ जोगी निवासी बापी के नाम है। उक्त खातेदार के हिस्सा 1/2 का 1/2 यानी 1/4 भूमि को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.4.2016 को क्रय की थी व कब्जा प्राप्त किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरण सं0 1337 तस्दीक किया गया। परन्तु पटवारी हल्का ने हिस्सा 1/4 रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द गुप्ता के नाम तो नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया किन्तु अपीलांट के नाम नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 1336 दिनांक 15.6.2016 को निरस्त फरमाते हुए प्रकरण उप तहसीलदार सैंथल को रिमाण्ड किया जाने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामांतरकरण दिनांक 15.6.2016 को तस्दीक किया गया है जिसकी अपील दिनांक 04.2.2019 को पेश की गई है। अपील विलम्ब से पेश किये जाने का उचित कारण व्यक्त नहीं किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण उप तहसीलदार सैंथल को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1336 दिनांक 15.6.2016 ग्राम बापी तहसील दौसा को निरस्त किया जाकर उप तहसीलदार सैंथल को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण की विस्तृत जॉच कर उभय पक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बाद जॉच विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.8.2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official